

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

न. व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

तारीख हुकम

कमलेश भीणा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर-प्रथम, जोधपुर)


सू.अ.अपील संख्या 38/2023

10.02.23

अपीलार्थी कमलेश भीणा निवासी 18 ई 255, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2022 में उसके द्वारा (1) IRGY-Urban Jodh/2022/12013 से संबंधित सूचना (2) अन्य बिन्दू से से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।



(हिमान्शु गुप्ता)  
जिला कलक्टर जोधपुर  
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)